

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)() छा./पोर्टल/सान्याअवि/2018-19/5921

दिनांक : 29-1-2019

संशोधित आदेश

विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 81700 दिनांक 30.11.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय, निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट www.scholarship.rajasthan.gov.in के माध्यम से पेपरलेस छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथियों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि	संशोधित अन्तिम तिथि
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि	31 जनवरी, 2019	28 फरवरी, 2019
2	शिक्षण संस्थान को विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अग्रेषित करने की तिथि	05 फरवरी, 2019	15 मार्च, 2019

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sje.rajasthan.gov.in के Home Page पर New Scholarship Portal पर भी देखी जा सकती है।

(सुचि शर्मा)
आयुक्त एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार/श्रम एवं नियोजन, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जयपुर।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग जोधपुर
9. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान
10. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
11. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी (समस्त)
12. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
14. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त).....
15. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान.....
16. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....
17. प्राचार्य राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....
18. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....
19. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....
20. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएँ.....
21. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यालय।
22. सिस्टम एनालिस्ट/प्रोग्रामर, मुख्यावास को पोर्टल पर उपरोक्तानुसार बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
23. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु
24. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
25. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
26. आदेश पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव